FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0078 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 10/05/2024 21:43 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 30/04/2024 **Date To (दिनांक तक):** 09/05/2024
      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 06:58 बजे **Time To (समय तक):** 22:20 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 10/05/2024 **Time (समय):** 19:30 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 10/05/2024 21:43:34 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 80 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** FATEDA ROAD, CHANCHAL DHABA, KOTADI, BARAN

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** DEEPAK NAGAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** OMPRAKASH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1994 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MANDOLA, BARAN, BARAN, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MANDOLA, BARAN, BARAN, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9667378741

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DHARA SINGH		पिता:PYAAR SINGH JAT	1. PALI,KARAULI,KARAULI,RAJAS

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		7,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 7,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय निवेदन है कि दिनांक 30.04.2024 को समय 06.58 ए.एम. पर मन् ज्ञानचन्द पुलिस उप अधीक्षक के मोबाइल नम्बर 9001333044 पर परिवादी श्री दीपक नागर ने स्वंय के मोबाइल नम्बर 9667378741 से फोन पर वार्ता कर सूचना दी कि - मैं गांव मण्डोला थाना कोतवाली िजला बांरा का रहने वाला हूं तथा गांव के पास ही कोटडी रोड़ पर खाने पीने का ढाबा चलाता हूं। कल रात्रि को 11 बजे के लगभग आबकारी थाना बांरा के पी.ओ. साहब प्रमोद सिह् एंव जमादार धारासिंह मय जाप्ता मेरे ढाबे पर आये तथा मेरे मजदूर प्रेमसिंह को धमकाया तथा अवैध शराब बेचने का आरोप लगाकर मुझे रात्रि मे ही ढाबे पर बुलवाया तथा मेरी मोटर साईकिल उठाकर आबकारी थाने पर ले गये तथा मुझसे अवैध शराब का केस नही बनाने एंव मेरी मोटर साईकिल वापस लौटाने की एवज में पी.ओ. साहब प्रमोद सिह, जमादार धारासिंह के माध्यम से 20,000 रूपये की मांग कर रहा है मै उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। मैं बून्दी आकर शिकायत पेश करने में असमर्थ हूं। उक्त सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को हालात निवेदन किये जाकर परिवादी दीपक नागर को कस्बा बांरा मे ही मौजुद रहने की हिदायत दी जाकर कानि0 रामसिंह को मय डिजिटल वॉइस रिकार्डर के कस्बा बांरा भेजकर आरोपीगण द्वारा रिश्वत मांगने के संबंध में गोपनीय सत्यापन करवाने बाबत अवगत कराया। तत्पश्चात चौकी हाजा पर पदस्थापित श्री रामसिंह कानि0 को परिवादी दीपक नागर के मोबाईल नम्बर से अवगत कराया जाकर परिवादी के पास गांव मण्डोला थाना कोतवाली बांरा पहुचंकर परिवादी से सम्पर्क कर आरोपीगण द्वारा रिश्वत मांगने के संबंध में गोपनीय सत्यापन करवाने के निर्देश देकर मय डिजिटल वॉइस रिकार्डर के प्राईवेट वाहन से कस्बा मण्डोला जिला बांरा रवाना किया गया। श्री रामसिंह कानि. से उसके मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क किया तो कानि0 ने बताया कि मैने गांव मण्डोला जिला बांरा पहुचंकर परिवादी दीपक से सम्पर्क कर लिया है परिवादी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी चौकी बून्दी के नाम एक लिखित शिकायत मेरे को प्रस्तुत की है। परिवादी ने बताया है कि आरोपी धारासिंह जमादार आज बाहर गया हुआ है इस कारण गोपनीय सत्यापन की कार्यवाही मे विलम्ब हो रहा है। कानि0 रामसिंह को परिवादी के साथ ही रहकर गोपनीय सत्यापन करवाने के निर्देश दिये गये। दिनांक 01.05.2024 समय 02.00 पी.एम. पर श्री रामसिंह कानि0 नम्बर 78 उपस्थित एसीबी चौकी बून्दी आया तथा परिवादी श्री दीपक नागर पुत्र ओमप्रकाश जाति धाकड़ निवासी मण्डोला थाना कोतवाली जिला बांरा द्वारा लिखित दिनांक 30.04.24 का एक प्रार्थना पत्र मय सरकारी डिजिटल वॉइस रिकार्डर के इस आशय का पेश किया कि- मैं गांव मण्डोला थाना कोतवाली बांरा का रहने वाला हूं, मैंने कोटड़ी रोड़ पर खाने पीने का ढाबा लगा रखा है। जिस पर मजदूर काम करते है। आबकारी थाने पर पी.ओ. प्रमोद सिंह एंव धारासिंह जमादार दिनांक 29.04.2024 को रात्रि के करीब 11 बजे मेरे ढाबे पर आये तथा मजदूर प्रेम को धमकाकर गये कि तेरे ढाबे पर अवैध शराब बिकती है तथा प्रेम से मेरे पास फोन करके मुझे ढाबे पर बुलाया, मैं ढाबे पर आया तो पी.ओ. प्रमोद सिंह, धारासिंह व होमगार्ड का जवान जगदीश ढाबे से मेरी मोटर साईकिल ले गये तथा मुझे आबकारी थाने पर धारासिंह ने पी.ओ. साहब के नाम पर मोटर साईकिल छोड़ने एंव शराब का केस नही बनाने के लिए 20,000रूपये देने की कही तो धारा सिंह जमादार ने सुबह मेरी मोटर साईकिल वापस दे दी एंव 20,000रूपये की रिश्वत लेकर बुलाया। मैं धारासिंह एंव प्रमोद सिंह पी.ओ. को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं, कृपया कानूनी कार्यवाही करें। श्री रामसिंह कानि0 ने मन पुलिस उप अधीक्षक को अवगत कराया कि मैं निर्देशानुसार मय डिजिटल वॉइस रिकार्डर के ए.सी.बी. चौकी बून्दी से रवाना होकर प्राईवेट वाहन से दिनांक 30.04.2024 को समय करीब 11 बजे गांव मण्डोला पहुंचा जहां परिवादी के मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क करने पर परिवादी उपस्थित आया। जहां पर उसने मुझे एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया। परन्तु उस दिन दिनांक 30.04.2024 को आरोपी के बाहर होने के कारण रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन नहीं हो सका। रात्रि मुकिम बांरा शहर में रहा। इसके बाद आज दिनांक 01.05.2024 को परिवादी की सूचना के बाद मैं परिवादी के साथ गांव मण्डोला के पास पहुंचा जहां पर परिवादी को डिजिटल वॉइस रिकार्डर देकर समय करीब 08.20 ए.एम. पर रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु आबकारी थाना बांरा रवाना किया। मैं परिवादी के पीछे-पीछे कुछ दूरी पर रहकर निगरानी कर रहा था। कुछ समय बाद परिवादी एंव एक अन्य व्यक्ति आबकारी थाने के बाहर अलग-अलग मोटर साईकिल से गांव मण्डोला में परिवादी के मजदूर के घर पर गये इसके बाद परिवादी से वार्ता कर अन्य व्यक्ति चला गया, इसके बाद परिवादी ने समय करीब 08.40 ए.एम. पर मेरे पास आकर डिजिटल वॉइस रिकार्डर बन्द करके पेश किया व बताया कि - यही व्यक्ति धारासिंह

जमादार है जिसने मेरे से अभी बातचीत के दौरान मेरे ढाबे पर अवैध शराब का केस नहीं बनाने की धमकी देकर 10,000 रूपये रिश्वत के प्राप्त कर लिये तथा शेष राशि 8,000 रूपये की और मांग करी है। इसके बाद धारासिंह चला गया। रामसिंह कानि0 द्वारा पेश किये गये सरकारी डिजिटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा सुना गया उसमें रिश्वत मांग के संबंध में तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया है परन्तु प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपी प्रमोद सिंह की भूमिका स्पष्ट नहीं होने पर प्रकरण के हालात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किये जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त शिकायत पर अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् उप अधीक्षक को निर्देशित किया गया। डिजिटल वॉइस रिकार्डर को सुरक्षित रखवाया गया। रिकार्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट परिवादी की मौजुदगी मे पृथक से तैयार की जायेगी।
निर्देशानुसार मामले में पुनः सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से दिनांक 04.05.2024 को समय 01.00 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ज्ञानचन्द मय डिजिटल वॉइस रिकार्डर के प्रकरण में पुनः सत्यापन एंव दीगर गोपनीय राजकार्य हेतु कस्बा बांरा रवाना हुआ। दिनांक 06.05.2024 को समय 12.10 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक बाद गोपनीय सत्यापन एंव दीगर राजकार्य के वापस चौकी बून्दी आया। हालात इस प्रकार रहे कि मन पुलिस उप अधीक्षक दिनांक 04.05.2024 को ए.सी.बी. चौकी बून्दी से रवाना होकर मय डिजिटल वॉइस रिकार्डर के प्राईवेट वाहन से कस्बा बांरा पहुंचा जहां पर परिवादी उपस्थित मिला, परिवादी द्वारा दिनांक 30.04.2024 को कानि. रामसिंह के समक्ष पेश किये गये प्रार्थना पत्र के बारे में पूछा तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वंय द्वारा हस्तलिखित होना बताया तथा अवगत कराया कि आबकारी थाना बांरा का पी.ओ. प्रमोद सिंह स्वंय सीधे मेरे से रिश्वत नहीं मांगकर धारासिह जमादार के माध्यम से रिश्वत मांगता है दिनांक 01.05.2024 को भी धारासिंह ने गोपनीय सत्यापन के दौरान मेरे 10,000 रूपये अवैध शराब का केस बनाने की धमकी देकर बतौर रिश्वत प्राप्त कर लिये तथा 8 हजार रूपये की और मांग कर रहा। इसके बाद परिवादी ने अवगत आज धारासिंह मेरे ढाबे पर आयेगा जिससे मेरी रिश्वत लेन देन के संबंध में स्पष्ट वार्ता हो सकेगी। जिस पर परिवादी को डिजिटल वॉइस रिकार्डर को चालू बन्द करने की विधि समझाकर गोपनीय सत्यापन हेतु उसके ढाबे पर रवाना किया। समय करीब 11 बजे रात्रि पर मेरे पास वापस आया तथा डिजिटल वॉइस रिकार्डर पेश कर बताया कि मैं रवाना होकर मेरे ढाबे पर पहुचां जहां पर काफी समय के इन्तजार के बाद समय करीब 10 बजे के लगभग आरोपी धारासिंह मेरे ढाबे पर आया तथा खाना खाकर मेरे रिश्वत संबंध में बातचीत की तथा कहा कि पी.ओ. साहब सीधी बात नही करते तथा पी.ओ. साहब के लिये मे ही बातचीत करता हूं। जब धारासिहं मेरे ढाबे पर आया तो मैंने साइड मे जाकर सरकारी डिजिटल वॉइस रिकार्डर चालू कर लिया था तथा बातचीत के पश्चात धारासिह के जाने के बाद बन्द कर लिया था। मन पुलिस उप अधीक्षक ने सरकारी डिजिटल वॉइस रिकार्डर को चलाकर सुना तो वार्ता का रिकार्ड होना पाया गया। परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर मन पुलिस उप अधीक्षक दीगर गोपनीय राजकार्य में मुकिम रहा तथा रवाना होकर चौकी पर उपस्थित आया। रिकार्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट परिवादी की मौजुदगी मे पृथक से तैयार किया जाना तय हुआ। दिनांक 07.05.2024 को समय 11.53 ए.एम. पर परिवादी से उसके मोबाइल पर सम्पर्क किया तो बताया कि आज आरोपी भी बाहर है एंव मेरे भी आवश्यक कार्य है इसलिये मैं अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 09.05.2024 को प्रातः ए.सी.बी. चौकी बून्दी पर उपस्थित हो सकूंगा। परिवादी को गोपनीयता रखने की हिदायत दी गयी। दिनांक 08.05.2024 को परिवादी दीपक नागर द्वारा प्रस्तुत शिकायत, वार्ता एवं गोपनीय सत्यापन से आरोपी धारा सिंह जमादार के विरूद्व दिनांक 09.05.2024 को ट्रेप कार्यवाही होना सम्भावित होने से एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता होने पर अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग बून्दी के नाम पत्र संख्या 433 दिनांक 08.05.2024 जारी कर विशेष वाहक श्री रामसिंह कानि. 78 को भिजवाकर दिनांक 09.05.2024 को समय 10 ए.एम. पर दो गवाह भिजवाने हेतु निवेदन किया गया। पत्र की प्रति को शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 09.05.2024 समय 10 ए.एम. पर कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग बून्दी से दोनों स्वतंत्र गवाहान पूरणमल पुत्र श्री हनुमान सहाय उम्र 31 जाति मीणा निवासी ग्राम पारा कूकस छापरा की ढाणी तहसील आमेर जयपुर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बून्दी व श्री मुकेश कुमार राठोर पुत्र श्री मदन लाल उम्र 32 जाति तेली निवासी ग्राम सिलोर बून्दी हाल कनिष्ठ सहायक उपस्थित चौकी आये, जिनको कार्यालय में मुकीम किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री दीपक नागर पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति धाकड उम्र 30 साल निवासी ग्राम मण्डोला तहसील बारां जिला बारां उपस्थित चौकी आया। परिवादी की उपस्थिति में कार्यालय में मौजूद दोनो स्वतंत्र गवाहों को परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.04.2024 पढकर सुनाया। गवाहो ने प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही हेतु बतौर गवाह रहने की स्वीकृति प्रदान की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री दीपक नागर तथा आरोपी श्री धारा सिंह, जमादार, आबकारी थाना बारां जिला बारां के मध्य दिनांक 01.05.2024 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम जो परिवादी द्वारा सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर को मंगवाया जाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम को सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर से लेपटॉप में लेकर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया एवं वार्ता की पहचान परिवादी से करवाई जाकर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रीप्ट श्रीमती टिंकू कवंर महिला कानि. 474 से मेरे निर्देशन में तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री दीपक नागर पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति धाकड उम्र 30 साल निवासी ग्राम मण्डोला तहसील बारां

जिला बारां ने बताया कि आरोपी धारा सिंह जमादार आबकारी थाना बारां जिला बारां ने उसके ढाबे से मोटर साईकिल ले जाकर वापस लौटाने एवं अवैध शराब का केस बनाने की धमकी देकर ढाबे के निर्बाध संचालन की एवज में 20,000 रूपये की मांग की गई। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी दीपक नागर ने अपने पास से पांच-पांच सौ रूपये के 14 नोट कुल राशि 7,000 रूपये मन उप अधीक्षक के समक्ष पेश करने पर नोटो के नम्बर फर्द मे अंकित किये। श्रीमती टिंकू कंवर म0कानि. 474 द्वारा मालखाने से फिनोप्थलीन पावडर की शीशी मंगवाकर सभी नोटो पर श्रीमती टिंकू कवंर म0कानि. 474 से फिनोप्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री दीपक नागर की जामा तलाशी गवाह श्री पूरणमल से लिवाई जाकर पावडर लगे नोट 7000 रूपये परिवादी दीपक नागर की पहनी हुई पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब में श्रीमती टिंकू कंवर म0कानि. 474 से रखवाये गये। तत्पश्चात एक प्लास्टिक के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमे सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्रीमती टिंकू कवंर म0कानि. 474 की फिनोप्थलीन युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे सम्बधितों को दिखाकर गुलाबी धोल को बाहर फिकवाया गया। श्रीमती टिंकू कंवर म0कानि. 474 से फिनोप्थलीन पाउडर की शीशी को वापस मालखाने मे रखवाया गया तथा जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोप्थलीन पाउडर लगवाया था उस अखबार को जलवाया गया। श्रीमती टिंकू कंवर म0कानि. 474 के दोनों हाथों को साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गई। परिवादी श्री दीपक नागर को रिश्वत लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चलाने व बन्द करने की विधि पुनः समझा कर सम्भलाया गया। परिवादी श्री दीपक नागर को समझाइश की गई कि आरोपी कर्मचारी द्वारा रिश्वत लेने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर टीम को इशारा करने अथवा मन् उप अधीक्षक के मोबाईल नं. पर फोन कर सूचित करने बाबत् अवगत कराया। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी के आसपास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का प्रयास करें। उक्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 03.00 पी.एम. पर परिवादी श्री दीपक नागर तथा आरोपी श्री धारा सिंह, जमादार, आबकारी थाना बारां जिला बारां के मध्य दिनांक 04.05.2024 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय जो परिवादी द्वारा सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर को मंगवाया जाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय को सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर से लेपटॉप में लेकर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया एवं वार्ता की पहचान परिवादी से करवाई जाकर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रीप्ट श्रीमती टिंकू कवंर महिला कानि. 474 से मेरे निर्देषन में तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 04.50 पी.एम. पर श्री इस्माईल अंसारी सहायक उप निरीक्षक मय श्री रामसिंह कानि. 78, श्री मनोज कुमार कानि. 452, परिवादी दीपक नागर व दोनो स्वतंत्र गवाह मय श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 मय सरकारी वाहन बोलेरो मय लेपटाप प्रिन्टर, ट्रेपबाक्स व अन्य उपकरण के ग्राम मण्डोला जिला बारां रवाना कर पीछे-पीछे मन् उप अधीक्षक मय श्री हरीश भारती पुलिस निरीक्षक, श्री देवेन्द्र सिंह हैडकानि. 106, श्री भूपेन्द्र सिंह हैडकानि. 04 व श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 मय प्राईवेट वाहन से ग्राम मण्डोला जिला बारा के लिए रवाना हुआ। समय 06.30 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व जाप्ते के प्राइवेट/सरकारी वाहनों से ग्राम मण्डोला जिला बारां के पास स्थित बैरवा छात्रावास, अटरू रोड बारां पर पहुॅचा। परिवादी श्री दीपक नागर ने बताया कि आरोपी धारा सिंह जमादार मेरे ढाबे पर ही रिश्वत प्राप्त करने आयेगा। अतः परिवादी दीपक नागर को सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर सिपुर्द कर श्री राम सिंह कानि. 78, श्री मनोज कुमार कानि. 452 एवं दोनो स्वतंत्र गवाहो को परिवादी के ढाबे पर छोडा गया एवं परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी के द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर मौजूद टीम को सिर पर हाथ फेर कर अथवा मन् उप अधीक्षक के मोबाईल पर फोन कर सूचित करने बाबत् अवगत कराया गया। इसके बाद मन् उप अधीक्षक मय शेष जाप्ता मय वाहनों के अटरू रोड पर स्थिति ग्राम मण्डोला के पास स्थित बैरवा छात्रावास के पास परिवादी के इशारे की प्रतीक्षा में मुकीम रहा। समय 09.13 पी.एम. पर परिवादी श्री दीपक नागर ने मन् उप अधीक्षक को जरिये मोबाईल कॉल करके आरोपी धारा सिंह जमादार द्वारा रिश्वत प्राप्त कर लेने बाबत सूचित किया। इस पर मन् उप अधीक्षक ने आस पास मुकीम ब्यूरो टीम को एकत्रित किया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक मय श्री हरीश भारती पुलिस निरीक्षक, श्री इस्माईल अंसारी स.उ.नि., श्री देवेन्द्र सिंह हैडकानि. 106, श्री भूपेन्द्र सिंह हैडकानि. 04, श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 व चालक प्रेमप्रकाश के प्राइवेट वाहन/सरकारी वाहन से बैरवा छात्रावास अटरू रोड बारां से रवाना होकर परिवादी के चंचल ढाबा, कोटड़ी फाटेड़ा रोड़ बारां में पहुॅचा। जहाँ पूर्व से परिवादी के ढाबे पर उपस्थित एसीबी जाप्ता श्री रामसिंह कानि. 78, श्री मनोज कुमार कानि. 452 व दोनो स्वतंत्र गवाह उपस्थित मिले। परिवादी दीपक नागर से डिजिटल वॉईस रिकार्डर लेकर श्री राम सिंह कानि. 78 के पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने रोड़ पर खड़े व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया है यही व्यक्ति आरोपी धारा सिंह जमादार है जिसने मेरे से रिश्वत राशि 7000रूपये लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में रख ली है। इस पर उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछा तो वह घबराकर भागने लगा जिसे जाप्ते की मदद से पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उक्त व्यक्ति स्वंय को छुडाकर भागने का प्रयास करने लगा जिसे जाप्ते की मदद से डिटेन कर तसली पूवक पुनः नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री धारा सिंह पुत्र श्री प्यार सिंह निवासी पाली

जिला करौली हाल जमादार, आबकारी थाना बारां जिला बारां होना बताया। इसी दौरान आरोपी श्री धारा सिंह जमादार के मोबाईल फोन नं. 8824013232 पर समय 09.42 मिनट पर प्रमोद सिंह पी.ओ. के मोबाईल नं. 9462904423 से फोन आया। जिस पर आरोपी धारा सिंह जमादार ने प्रमोद सिंह पी.ओ. से कहा कि उसका काम हो गया है। जिस पर प्रमोद सिंह ने जवाब दिया कि मुझे कोई मतलब नही है एवं धारा सिंह को खाना खाने के लिए बुलाया। उक्त वार्ता को आरोपी धारा सिंह के मोबाईल का स्पीकर चालू कर सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। उक्त वार्ता से प्रमोद सिंह पी. ओ. की संलिप्तता प्रकट होना नही पाया गया। तत्पश्चात डिटेनशुदा आरोपी धारा सिंह जमादार से परिवादी दीपक नागर से ली गई रिश्वत राशि 7000/-रूपये के सम्बध मे पूछने पर बताया कि दीपक के ढाबे पर अवैध शराब बेचने की शिकायत होने पर दिनांक 29.04.2024 को मैं पी.ओ. साहब प्रमोद सिंह के साथ इसके ढाबे पर आया था। जहाँ पी.ओ. साहब के निर्देशानुसार उनके साथ आया जाप्ता दीपक की मोटर साईकिल को आबकारी थाने पर ले गये थे। अगले दिन इसकी मोटर साईकिल वापस लौटा दी थी। जिसके बाद मैनें पी.ओ. साहब के कहने पर दीपक से दिनांक 01.05.2024 को 10,000रूपये लिये थे तथा आज आगे होकर दीपक ने 7000रूपये दिये है जो मैनें दाहिनी जेब में रख लिये। मुझसे गलती हो गई। मैनें यह पैसे स्वंय के लिए नही लिये। मैनें यह पैसे पी.ओ. साहब श्री प्रमोद सिंह के लिए लिये है। मैनें दिनांक 01.05.2024 को परिवादी दीपक नागर से 10,000रूपये लेकर पी.ओ. साहब श्री प्रमोद सिंह को दिये थे। जिस पर मौके पर उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान में से श्री पूरणमल से आरोपी धारा सिंह जमादार की पेंट की दाहिनी जेब की तलाशी लिवाई तो पांच-पांच सौ रूपये के कुल 14 नोट कुल राशि 7000रूपये बरामद हुई। उक्त बरामदशुदा राशि को गवाह श्री पूरणमल के पास सुरक्षित रखवाया गया। समय 10.00 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही स्थल पर बिजली एवं आवास/भवन की सुविधा नही होने से अग्रिम कार्यवाही के लिए मन् उप अधीक्षक मय एसीबी जाप्ता, दोनों स्वतंत्र गवाहान मय आरोपी धारा सिंह जमादार के प्राईवेट/सरकारी वाहन से रवाना होकर तेली फैक्ट्री पुलिस चौकी बारां पहुॅचा। जहाँ पर चौकी प्रभारी श्री बनवारी लाल स.उ.नि. उपस्थित मिला जिससे कार्यवाही की मौखिक स्वीकृति प्राप्त कर भवन के एक कक्ष में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। आरोपी धारा सिंह जमादार के हाथों का धोवन लिया जाने आवश्यक होने से एक साफ जग में साफ पानी मंगवाकर दो साफ प्लास्टिक के गिलासों में पानी भरवाकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। पहले प्लास्टिक गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी धारा सिंह जमादार के दायें हाथ की अंगुलियो को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा-आधा डालकर शीशियो को सील मुहर किया जाकर मार्क आर.एच-1, आर.एच-2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये। दूसरे प्लास्टिक गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी धारा सिंह जमादार के बायें हाथ की अंगुलियो को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा- आधा डालकर सील मुहर किया जाकर मार्क एल.एच-1, एल.एच-2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी धारा सिंह जमादार की पेंट की दाहिनी जेब से बरामद 500-500 के 14 नोट कुल 7000/- रूपयो के नोटो के नम्बरो का मिलान दोनो गवाहो से फर्द पेशकशी व दृष्टांत में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाया तो गवाहान ने नोटो के नम्बर फर्द में अंकित नोटों के नम्बरां को देखकर सभी नोट हु ब हु रिश्वती राशि के नोट होना बताया। नोटो के नम्बर इस प्रकार है - क्र.स. नोट का विवरण नोट का नम्बर 1 एक नोट पांच सौ रूपये 1 DE 321322 2 एक नोट पांच सौ रूपये 0 MQ 918493 3 एक नोट पांच सौ रूपये 4 SA 997022 4 एक नोट पांच सौ रूपये 7 QS 237092 5 एक नोट पांच सौ रूपये 8 BE 021337 6 एक नोट पांच सौ रूपये 9 GS 156619 7 एक नोट पांच सौ रूपये 1 FE 343366 8 एक नोट पांच सौ रूपये 3 UC 561440 9 एक नोट पांच सौ रूपये 5 PC 926199 10 एक नोट पांच सौ रूपये 1 UM 203775 11 एक नोट पांच सौ रूपये 0 VC 686096 12 एक नोट पांच सौ रूपये 6 AU 386178 13 एक नोट पांच सौ रूपये 8 AE 014813 14 एक नोट पांच सौ रूपये 1 DD 494330 उक्त नोटो को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे में रखकर, विवरण अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। मौके पर श्री बनवारी लाल स.उ.नि. से एक लोअर मंगवाया जाकर आरोपी धारा सिंह जमादार के पहनी हुई पेंट को चेंज करवाया गया। एक अन्य प्लास्टिक के गिलास में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी धारा सिंह जमादार के वक्त घटना पहनी हुई पेंट के सामने की दाहिनी जेब को उल्टा करके डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा-आधा डालकर शीशियो को सील मुहर किया जाकर मार्क पी-1, पी.-2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये। आरोपी धारा सिंह जमादार के वक्त घटना पहनी हुई पेंट की जेब को सुखाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क-पी अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी के पास एक मोबाईल ब्यूल कलर वीवो कम्पनी मोडल नं. 1816 मिला जिसमें दो सिम लगी हुई है। जिसमें एक सिम एयरटेल कम्पनी की है जिसके नम्बर 9983605429 है तथा दुसरी सिम जीओ कम्पनी की है जिसके नम्बर 8824013232 है। उक्त मोबाईल फोन से आरोपी धारा सिंह जमादार द्वारा परिवादी दीपक नागर एवं पी.ओ. प्रमोद सिंह संदिग्ध व्यक्ति से बातचीत होना पाया जाने के कारण बतौर वजह सबूत जप्त कर एक सफेद कपड़े की थैली में सीलमोहर कर विवरण अंकित कर मार्क 'एम'

दिया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी धारा सिंह जमादार आबकारी थाना बारां जिला बारां द्वारा परिवादी दीपक नागर से दिनांक 30.04.2024 को उसके ढाबे से मोटर साईकिल ले जाकर वापस लौटाने एवं अवैध शराब का केस बनाने की धमकी देकर ढाबे के निर्बाध संचालन की एवज में 20,000 रूपये की मांग की गई। जिसकी सूचना एवं शिकायत प्रस्तुत करने पर दिनांक 01.05.2024 एवं दिनांक 04.05.2024 को उक्त शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाने पर आरोपी धारा सिंह जमादार द्वारा रिश्वत मांग की स्पष्ट पुष्टि होना पाया गया। जिस पर दिनांक 09.05.2024 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन किया जाकर आरोपी धारा सिंह जमादार को 7000 रूपये रिश्वत लेते हुये परिवादी के ढाबे के सामने रंगे हाथ पकडा जाकर रिश्वत राशि आरोपी की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब से बरामद की गई है। आरोपी का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 पी सी एक्ट (संशोधित) 2018 में दण्डनीय अपराध की श्रेणी में पाया गया। तत्पश्चात आरोपी धारा सिंह जमादार को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम व द्वितीय व रिश्वत लेन-देन वार्ता तथा मोबाईल वार्ता को लेपटॉप के जरिये चलाकर वार्ताओं के अंश सुनाये गये एवं आरोपी धारा सिंह जमादार को अपनी आवाज का नमूना दिये जाने के सम्बंध में गवाहान के समक्ष लिखित में जरिये फर्द नोटिस दिया गया तो आरोपी धारा सिंह जमादार ने अपनी प्रत्युत्तर में लिखित में पेश किया कि "मैं अपनी आवाज का नमूना नही देना चाहता हूॅं।" नोटिस पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री धारा सिंह पुत्र श्री प्यार सिंह निवासी पाली जिला करौली हाल जमादार, आबकारी थाना बारां जिला बारां को समय 11.50 पी.एम. पर उसके विरूद्ध जुर्म धारा 7 पी.सी. (संशोधित) एक्ट 2018 का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष जरिये फर्द आरोपी को गिरफ्तार कर हिरासत ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात दिनांक 10.05.2024 को परिवादी श्री दीपक नागर तथा आरोपी धारा सिंह जमादार के मध्य दिनांक 09.05.24 को हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता, जो परिवादी द्वारा सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी में रिकार्ड की गई है तथा ट्रेप कार्यवाही के दौरान श्री प्रमोद सिंह पी.ओ. के मोबाईल नं. 9462904423 से आरोपी धारा सिंह जमादार के मोबाईल नं. 8824013232 पर कॉल आने पर मोबाईल का स्पीकर ऑन कर सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में वार्ता को रिकार्ड करवाया गया था। सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को लेपटॉप में लेकर स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया एवं वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रीप्ट श्री मनोज कुमार कानि. 452 से मेरे निर्देशन में तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी श्री दीपक नागर तथा आरोपी श्री धारा सिंह पुत्र श्री प्यार सिंह निवासी पाली जिला करौली हाल जमादार, आबकारी थाना बारां जिला बारां के मध्य दिनांक 01.05.2024 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम व दिनांक 04.05.2024 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता द्वितीय एवं दिनांक 09.05.2024 को हुई रिश्वत लेन-देन हुई एवं दिनांक 09.05.2024 को आरोपी धारा सिंह जमादार एवं श्री प्रमोद पी.ओ. के मध्य हुई मोबाईल वार्ता सहित कुल 4 रिकार्ड वार्ताओं को ए0सी0बी0 बून्दी के सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड करवाया गया था। श्री जितेन्द्र सिंह कानि 413 से मेरे निर्देशन में उक्त चारो वार्ताओं को सरकारी लेपटॉप में सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर लगाकर वार्ताओं की तीन पृथक-पृथक पेन ड्राईव में क्लोनिंग करवाई गई। जिसमें से मूल मैमोरी कार्ड मय क्वर को न्यायालय के लिए कपडे की थैली में रखकर सील मोहर किया गया एवं तीन पेन ड्राईव में से एक पेन ड्राईव को अनुसंधान अधिकारी के लिये बिना सील किये कागज के लिफाफे में अनसील रखा गया। एक पेन ड्राईव को आरोपी के लिए कपडे की थैली में रखकर सील मोहर किया गया तथा एक पेन ड्राईव को आरोपी की आवाज नमूना के लिए कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर किया गया। फर्द डबिंग व जब्ती पेन ड्राईव मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। रिश्वत राशि बरामदगी स्थल का नक्शा मौका तैयार किया जाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी धारा सिंह जमादार आबकारी थाना बारां जिला बारां द्वारा परिवादी दीपक नागर से दिनांक 30.04.2024 को उसके चंचल ढाबा, कोटड़ी फाटेड़ा रोड़ बारां जिला बारां से मोटर साईकिल ले जाकर वापस लौटाने एवं ढाबे पर अवैध शराब बेचने का केस बनाने की धमकी देकर ढाबे के निर्बाध संचालन की एवज में 20,000 रूपये की मांग की गई। परिवादी द्वारा उक्त की सूचना एवं शिकायत एसीबी चौकी बून्दी को प्रस्तुत करने पर शिकायत का दिनांक 01.05.2024 एवं दिनांक 04.05.2024 को गोपनीय सत्यापन करवाने पर रिश्वत मांग की स्पष्ट पुष्टि हुई एवं सत्यापन के दौरान आरोपी धारा सिंह जमादार द्वारा परिवादी से दिनांक 01.05.2024 को 10,000रूपये रिश्वत प्राप्त किये एवं ट्रेप कार्यवाही के दौरान दिनांक 09.05.2024 को आरोपी धारा सिंह जमादार को परिवादी से 7000 रूपये रिश्वत लेते हुये परिवादी के ढाबे के सामने रंगे हाथ पकडा जाकर रिश्वत राशि आरोपी की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब से बरामद की गई है। आरोपी धारा सिंह जमादार का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 पी सी एक्ट (संशोधित) 2018 में दण्डनीय अपराध होने से आरोपी धारा सिंह जमादार को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री धारा सिंह पुत्र श्री प्यार सिंह निवासी पाली जिला करौली हाल जमादार, आबकारी थाना बारां जिला बारां के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः उक्त आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करने हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्र.नि.ब्यूरो मुख्यालय जयपुर की सेवामें प्रेषित है। (ज्ञानचन्द) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी ....कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ज्ञानचन्द, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी ने प्रेषित की है। मजमून

रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री धारा सिंह पुत्र श्री प्यार सिंह, जाति जाट उम्र 54 वर्ष, निवासी ग्राम पाली जिला करौली हाल जमांदार ग्रेड-प्रथम, आबकारी थाना बारां, जिला बारां के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री प्रेमचन्द, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 156 पर अंकित है। (रणधीर सिंह) उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 386-89 दिनांक 10.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2 आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी। उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PREM CHAND MEENA **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Randhir Singh
Location: Rajasthan,IN
Date: 13/05/2024 10:12:49

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Randheer Singh
Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1970				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)